न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2014 निगरानी R- 2067-J/14

रामदयाल रावत पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी– ग्राम डिगवार तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना

.....आवेदक

बनाम

1. रामबाई उर्फ इमरती बाई वेवा होतम रावत, निवासी– बुद्ध का पुरा रोड़, सवलगढ़, जिला मुरैना म.प्र.
2. संतोष पुत्र श्री मथुरा प्रसाद रावत, निवासी– ग्राम डिगवार तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना
3. नारायणी पुत्र श्री मथुरा प्रसाद पत्नि श्री बाबूलाल, निवासी– ग्राम मांगरोल तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना

.....अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व सहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 07/13–14 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2014 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य

यह कि, विवादित् भूमि सर्वे क्रमांक 379, रकवा 0.180 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 504 रकवा 0.160 है., सर्वे क्रमांक 505 रकवा 1.290 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 725 रकवा 0.990 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 732 रकवा 0.580 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 797/123 रकवा 0.140 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकवा 3.44 हैक्टेयर भूमि आवेदक के सह स्वामित्व की भूमि है जो ग्राम खेरा डिगवार तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना में स्थित है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2067–एक/14 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया एव उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 07/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12–6–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ यह प्रकरण बटवारे के संबंध में है प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं । अपर ने अपने आदेश में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया है और आवेदक ने उपस्थित होकर फर्द बटवारा पर अपनी सहमति के हस्ताक्षर किए हैं और कथन अंकित कराये हैं । फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में भी अपर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि एस.डी.ओ. के समक्ष प्रस्तुत अपील में एवं तहसीलदार, सबलगढ़ की आदेश पत्रिकाओं में एवं फर्द पर किए गए हस्ताक्षर से मिलान होना पाया है और आवेदकों के फर्जी हस्ताक्षर होने संबंधी तर्क को अमान्य किया है । उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि के संबंध में एक अन्य प्रकरण कमांक 2480–एक/16 जो अनावेदिका की भूमि पर आवेदकों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर प्रचलित है जिसको देखते हुए यह पाया जाता है कि आवेदक येनयेन तरीके से	

निग० 2067. B/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
B/14	अनावेदिका की भूमि पर जानबूझकर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इसं प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नही है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों अभिलेख वापिस हों । सदस्य	